संख्या-41/2023/1599/001-1599-23-10-2022-57-सा0-2022

प्रेषक,

शरद सक्सेना,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ दिनांक 06 फरवरी,2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत झांसी क्षेत्र के जनपद जालौन के 01 चालू कार्य हेतु धनराशि काआवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता (31 वां वृत्त सेतु) लोक निर्माण विभाग के पत्रांक-2622/सी0ई0-एस0ई0बी0/आर0वाई0बी0/जे0एच0ए0/2022-23 दिनांक 28-12-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत झांसी क्षेत्र के जनपद जालौन के कुल 01 चालू सेतु के निर्माण कार्य हेतु निम्नांकित तालिका के कॉलम-04 में अंकित कार्य के सापेक्ष तालिका के कॉलम-13 में अंकित लागत कुल धनराशि रू0 747.94 लाख (रूपये सात करोड़ सैंतालीस लाख चौरानवे हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र सं	क्षेत्र का नाम	खण्ड/जनपद	मार्ग का नाम	स्वीकृत मूल लागत	दिनॉक 31.3.2022 तक आवंटन	दिनॉक 1.04.2022 को अवशेष	बचत	वर्ष 2022-23 में आवंटन	अद्यतन अवशेष	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन		
										अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	झाँसी	सेतु निगम जालौन	जनपद जालौन विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के रामपुरा ब्लाक ग्राम रामपुरा सिद्धपुरा मार्ग के मध्य सिन्ध नदी सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक निर्माण कार्य कराये जाने हेतु।	2991.77	747.94	2243.83	0.00	0.00	2243.83	**589.30**	**158.64**	**747.94**
			योगः-	**2991.77**	**747.94**	**2243.83**	**0.00**	**0.00**	**2243.83**	**589.30**	**158.64**	**747.94**

अवमुक्त कुल धनराशि रू0 747.94 लाख (रूपये सात करोड़ सैंतालीस लाख चौरानवे हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) अवमुक्त की जाने वाली धनराशि केवल उपरोक्त अंकित परियोजनाओं पर ही मानक/ विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।

(2) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेशों की शेष शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- **इस संबंध में होने वाला व्यय** (1) **रुपये** 5,89,30,000(**रुपये पांच करोड नवासी लाख तीस हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक में अनुदान संख्या** 057 **लेखाशीर्षक** 5054041010 421 **कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य** (**चालू योजना**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य** (2) **रुपये** 1,58,64,000 (**रुपये एक करोड़ अट्ठावन लाख चौसठ हजार मात्र**) **को चालू वित्तीय वर्ष** 20222023 **के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 **कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण** (**चालू कार्य**) **मानक मद** 24 **वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

3- **यह आदेश वित्त** (**आय-व्ययक**) **अनुभाग**-1 **के कार्यालय ज्ञाप संख्या**-13/2022/**बी**-1-454/**दस**-2022-231/2022, **दिनांक**-07-**जून**, 2022 **मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव।

संख्या-41/2023/1599/001-1599-23-10-2022-57-सा0-2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) **महालेखाकार** (**लेखा एवं हकदारी**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(2) **महालेखाकार** (**लेखा-परीक्षा**) **प्रथम/द्वितीय**, उ0प्र0 **प्रयागराज ।**
(3) **संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।**
(4) **संबंधित मुख्य अभियंता**, **लोक निर्माण विभाग ।**
(5) **मुख्य अभियंता** (**सेतु**), **लोक निर्माण विभाग**, **लखनऊ ।**
(6) **प्रबंध निदेशक**, उ0प्र0 **राज्य सेतु निगम लि**0, **लखनऊ।**
(7) **मुख्य कोषाधिकारी**, **आर्दश कोषागार**, **कलेक्ट्रेट लखनऊ।**
(8) **संबंधित कोषाधिकारी।**
(9) **वित्त** (**व्यय-नियंत्रण**) **अनुभाग**-8**।**
(10) **राज्य योजना आयोग अनुभाग**-1/2 **।**
(11) **श्री राजेश प्रताप सिंह** (**उप सचिव/नोडल अधिकारी**), **लोक निर्माण विभाग ।**
(12) **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(शरद सक्सेना)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.upgov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**